

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 535/2018 वाद

किशनलाल पिता रामा उर्फ तुलसीराम रेगर, आयु 65 साल, निवासी बाड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

- वादी

//बनाम//

1. मेघराज पिता रामलाल उर्फ तुलसीराम रेगर, आयु वयस्क, निवासी बाड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. देउ बाई पत्नी रामलाल उर्फ तुलसीराम रेगर, आयु वयस्क, निवासी बाड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

- प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 रा.का.अधि.

प्रकरण में दिनांक 18.03.2019 को राजीनामें अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया गया तथा विवादित भूमि मौजा बाड़ी की खाता संख्या 178 की आराजी नं. 1133, 1137, 1138, 1139 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5700 हेक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3, 1/3 हक हिस्सा घोषित करते हुए विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उपर्युक्तानुसार बंटवारा करने के आदेश प्रदान किये गये थे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/टीआरए/19/20/596 दिनांक 11.10.2019 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है-

1- किशनलाल पिता रामा उर्फ तुलसीराम रेगर के रहेगी, बैंक रहन बदस्तुर रहेगा-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में
1137	0.1700
1138 उत्तर	0.1000
1134 उत्तर	0.3400

कुल किता 3 कुल रकबा 0.6100 हेक्टेयर



2- श्रीमती देउ बाई पत्नी रामलाल उर्फ तुलसीराम रेगर, आयु वयस्क, निवासी बाड़ी के रहेगी, बैंक रहन बदस्तुर रहेगा-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में
1133	0.3800

3- मेघराज पिता रामलाल उर्फ तुलसीराम रेगर, आयु वयस्क, निवासी बाड़ी के रहेगी। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में
1138	0.2400
1139	0.3400

.....
कुल किता 2 कुल रकबा 0.5800 हेक्टेयर
.....

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 11.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



पंज 11/2/2020
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
पोडासाम अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

